न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामुवास बनाम बनवारी दास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा प्र.न. — 49/2022
	वादपत्र से विड्रा किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। वकील वादी ने प्रकरण मे आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 10 ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
20.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक (डिक्री)
49 / 2022	2022 / 088	25.04.2022	20.07.2023

1. रामूदास उम्र 62 वर्ष पुत्र मांगूदास जाति स्वामी निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—— वादी——

बनाम

1. बनवारी दास पुत्र नारायण दास
2. केशव पुत्र बनवारी दास
3. पूर्णमल पुत्र बनवारी दास
4. मनोज पुत्र बनवारी दास
5. रूकमा देवी पुत्र बनवारी दास
6. शिभु दयाल पुत्र बनवारी दास
7. हंसा देवी पुत्री बनवारी दास
8. तीजा देवी पुत्री गणेश दास
9. बंशीदास पुत्र गणेश दास
10. हरभक्त दास पुत्र गणेश दास

    समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये शाखा प्रबधंक
12. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित : —

श्री रक्षपाल स्वामी एड0 वादी अभिभाषक।

श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी, एड0 प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 13.

दावा बाबत तकास्मा, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का पिता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के सजरा खानदान अनुसार जमनदास की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो गयी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, उस समय जमनदास के चारों पुत्र अपने—अपने हैशियत के अनुसार कृषि भूमियों पर काबिज काश्त थे। जिनके मुताबिक हरेदव दास, मांगू दास, चन्द्र दास संयुक्त शामलाती रूप से भूमियों पर काबिज काश्त थे तथा दयाल दास अपनी पृथक से अलग भूमियों पर काबिज काश्त रहा है तथा कृषि भूमियां भी अलग—अलग खातेदारी में दर्ज रही है। इस बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 की पैतृक कृषि भूमियां वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे इस प्रकार अवस्थित है कि कृषि भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23

दिलीप सिंह

वर्तमान खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7800 है0, खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.5500 है0, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2300 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1489 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 1490 रकबा 3 बिस्वा वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुआ तथा 1/3 हिस्सा जरिये दान पत्र दिनांक 04.06.1979 को अपने बड़े पिता हरदेव दास से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उक्त भूमियों में वादी का हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 अवस्थित है। जो प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की माता सुशीला देवी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्र दास का जंवाई व सुशीला देवी पुत्री थी के पक्ष में जरिये दान पत्र 13.09.1976 को करवाया गया। इस प्रकार चन्द्र दास का हिस्सा 1/3 विरासत में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को प्राप्त हो गया। जिसकी ताईद पुरानी जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 तक की जमाबंदी से भी होती है। जिसमें खातेदारी इस प्रकार से है "हरदेव दास, चन्द्र दास, मांगू दास पुत्रगण जमन दास" इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्र दास का हिस्सा प्रश्नगत भूमियों में हिस्सा 1/3 था, जिसको अपनी एकमात्र जायन्दा पुत्री सुशीला देवी जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 1 जो जंवाई अर्थात् सुशीला देवी का पति था के नाम अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमियों का दान पत्र भी दिनांक 13.09.1976 को करवाया गया। जिसमें स्व. चन्द्र दास ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की माता सुशीला देवी को किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने पैमाईश के दौरान गलत रूप से उक्त भूमियों की आगे खातेदारी में हिस्सा गलत अंकित कर दिया गया जबकि 1/3 हिस्सा मांगू दास पुत्र जमन दास व 1/3 हिस्सा हरदेव दास व 1/3 हिस्सा चन्द्र दास का रहा है। उसी के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/21
दिलीप सिंह

खातेदारी में हिस्सा अंकित किया जाना आवश्यक था लेकिन चालू जमाबंदी में हिस्सा दर्ज करते समय वादी का हिस्सा जो 1/3 हिस्सा अपने जायन्दा पिता मांगूदास का विरासतन होने के बावजूद 1/4 दर्ज कर दिया गया व अपने बड़े पिता हरदेव दास का हिस्सा जो जरिये दान पत्र दिनांक 04.06.1979 को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। उसको भी हिस्सा 1/4 अंकित कर दिया गया। इस प्रकार वादी उक्त भूमियों में हिस्सा 2/3 की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 प्राप्त करने के अधिकारी है। उसी के अनुसार मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1936 रकबा 0.4200 है0, खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.0000 है0, खसरा नम्बर 1938 रकबा 0.5800 है0, खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.8500 है0, खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 1959 रकबा 0.6800 है0, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.1800 हैं0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.8400 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1494 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1498 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1499 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त खातेदार है। उक्त भूमियों में वादी का शामलाती 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है। उक्त प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 की खातेदारी बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन शेष हिस्सा 1/2 में वादी का हिस्सा 2/3 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/21 दिलिप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अवस्थित है। उसी के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी ताईद पुरानी जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 तक की जमाबंदी से भी होती है। जिसमें खातेदारी इस प्रकार से है "हरदेव दास, चन्द्र दास, मांगू दास पुत्रगण जमन दास व गणेश दास पुत्र त्रिलोक दास" इस प्रकार स्पष्ट है कि जमनदास के वारिसान हरदेव दास, मांगू दास, चन्द्र दास का 1/2 हिस्सा था शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के पूर्वजों का रहा है लेकिन चालू जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों ने हिस्सा अंकित करते समय गलत हिस्सा अंकित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्र दास का हिस्सा प्रश्नगत भूमियों में हिस्सा 1/6 था लेकिन जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का हिस्सा 1/8 अंकित कर दिया जो गलत है जिससे वादी के व अन्य खातेदारान् का हक हिस्सा प्रभावित हुआ है जबकि मौके व कब्जे काश्त व चन्द्रदास के विरासतन के हिसाब से 1/6 हिस्स ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को प्राप्त हुआ है। उसी के अनुसार मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1955 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1958 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.230 है0, खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.1900 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1538 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1538/1585 मि., खसरा नम्बर 1534 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1531 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/10/23

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोट—इस खर्चा केफार्म परकुल खर्चा ही दोफरीकेन का चाहे डिकी के जरियेदिखायागया होयानही,दर्जकरना चाहिये।

काश्त खातेदार है। उक्त भूमियों में इनका संयुक्त शामलाती 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सेदारी ही जमाबंदी में दर्ज है। उक्त प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 की खातेदारी बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन शेष हिस्सा 1/2 में वादी का हिस्सा 2/3 अर्थात् सम्पूर्ण में 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 अर्थात् सम्पूर्ण में 1/6 हिस्सा अवस्थित है। उसी के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी पुरानी जमाबंदी संवत् 2027 से 2034 तक की जमाबंदी से भी ताईद होती है। जिसमें खातेदारी इस प्रकार से है "मांगू दास पुत्र कानदास,, हरदेव दास, चन्द्र दास, मांगू दास पुत्रगण जमन दास व सीतादास पुत्र दयाल दास" इस प्रकार स्पष्ट है कि जमनदास के वारिसान हरदेव दास, मांगू दास, चन्द्र दास का 1/2 हिस्सा था शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पूर्वजों का व भागुदास व सीतादास का रहा है। इस बाबत इनके हिस्से का कोई विवाद नहीं है लेकिन चालू जमाबंदी में हिस्सा अंकित करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया गया व वादी के पिता स्व0 मांगुदास का हिस्सा 1/8 व स्वयं वादी का हिस्सा जो हरदेव दास से जरिये दान पत्र प्राप्त हुआ है। उसका हिस्सा 1/8 अंकित कर दिया गया। जो रिकॉर्ड व कब्जे काश्त के विपरीत होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर हुआ है। इसी प्रकार कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.2700 है0 खसरा नम्बर 1935 रकबा 0.5700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1493 [illegible] नम्बर 1497 रकबा 6 बिस्वा वाकै ग्राम [illegible] जिला सीकर जिसमें वादी का हिस्सा 2/3 व [illegible] 7 का हिस्सा 1/3 अवस्थित है उसी के मुताबिक कब्जा काश्त चला [illegible] रहा है। जिसकी ताईद पुरानी जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 तक की जमाबंदी से भी होती है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
(फास्ट ट्रेक)

खातेदारी इस प्रकार से है "हरदेव दास, चन्द्र दास, मांगू दास पुत्रगण जमन दास, गणेश दास पुत्र त्रिलोक दास" इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/8 अंकित किया है जो सही है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 व 10 हिस्सा 1/4 पर काबिज काश्त है। इस बाबत कोई विवाद नहीं है। शेष 3/4 हिस्से में से चन्द्र दास का हिस्सा प्रश्नगत भूमियों में हिस्सा 1/3 था अर्थात् कुल हिस्से में 1/4 भूमि पर कब्जे व पांती में आयी जिसको अपनी एकमात्र जायन्दा पुत्र सुशीला देवी जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 1 जो जंवाई अर्थात् सुशीला देवी का पति था के नाम अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमियों का दान पत्र भी दिनांक 13.09.1976 को करवाया गया। जिसमें स्व0 चन्द्र दास ने अपना 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण में 1/4 हिस्सा व वादी का हिस्सा 1/4 अपने बड़े पिता हरदेव दास से जरिये दान पत्र व 1/4 हिस्सा अपने पिता मांगु दास का विरासत में प्राप्त होने पर उक्त सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/2 पांती व हिस्से में आया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी में हिस्सा दर्ज करते समय गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का संयुक्त शामलाती हिस्सा 1/4 खातेदारी में अंकित कर दिया गया व वादी का स्वयं का हिस्सा 1/8 व अपने पिता मांगुदास का हिस्सा 1/8 अंकित कर दिया जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि के हिस्सा 1/2 पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है तथा उसी के अनुसार खातेदारी में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जिसकी ताईद जमाबंदी 2021 से 2024 से भी होती है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमियां है तथा उक्त भूमियों में जमनदास के तीन वारिस क्रमशः हरदेव दास, मांगू दास व चन्द्र दास जो कि प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से में पैमाईश के पूर्व खातेदारी अंकित रही है जिसमें हरदेव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

दास ने अपना 1/3 हिस्सा अपने छोटे भाई के पुत्र रामुदास को जरिये दान पत्र दिनांक 04.06.1979 के द्वारा भूमियां दान स्वरूप दे दी गयी व मागूदास क हिस्सा 1/3 मांगूदास की मृत्यु के पश्चात् रामुदास वादी को विरासत मे प्राप्त हो गया। इस प्रकार वादी का प्रश्नगत कृषि भूमियों में हरदेव दास व मांगूदास का हिस्सा प्राप्त हुआ है तथा शेष 1/3 हिस्सा जो चन्द्र दास की कब्जे काश्त का खातेदारी में रहा है ने अपने जीवन काल में जरिये दान पत्र दिनांक 13.09.1976 के द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमियां अपनी एकमात्र पुत्री सुशीला देवी जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है एवं अपने जंवाई प्रतिवादी संख्या 1 को शामिल में दान पत्र के द्वारा भूमियां दी गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 चन्द्रदास के हक हिस्से तक ही खातेदारी में हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में द्वितीय पैमाईश के पश्चात् जमाबंदी में हिस्सा गलत दर्ज कर दिये जाने अर्थात् हक हिस्से से अधिक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत अंकित कर दिये जाने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर हुआ है। जिससे वादी को सख्त हक तलफी है वादी हरदेव दास व मांगुदास की खातेदारी की 2/3 हिस्से की भूमियां प्राप्त करने का अधिकारी है तथा शेष चन्द्र दास की पांती व हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 संयुक्त शामलाती प्राप्त करने के अधिकारी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने दान पत्र प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी देवी व सुशीला देवी दोनो के नामों से होने के कारण अलग-अलग हिस्सा अंकित कर दिये जाने के कारण से खातेदारी हक हिस्सा प्रभावित हुआ है जो कानूनन गलत है। किसी भी खातेदार को अपने पूर्वज के पांती व हिस्से से अधिक हक हिस्सा कानूनन प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण वादी अपना हक हिस्से की भूमि की उद्घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा सभी प्रतिवादीगण का निवास स्थान भी बदल दिया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/10/23

चक नांगल अंकित किया है जबकि सभी ग्राम दौलतपुरा के निवासी है जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कभी नहीं हुआ है। इस कारण से वादी अपनी भूमियों का समुचित विकास नहीं कर पा रहा है। इस कारण वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स दावे में प्रश्नगत भूमियों का कब्जे, पांती व हिस्से के मुताबिक खाता पृथक–पृथक करवाना आवश्यक समझता है। जिसका वह कानूनन अधिकारी है। उक्त दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियों में सही हिस्सा नहीं लगने के कारण तथा राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेदारी अंकित कर दिये जाने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर हुआ है। जिससे वादी को सख्त हक तलफी है। उक्त दावे में प्रश्नगत कृषि भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कभी नहीं हुआ है मात्र बाहमी बंटवारे के मुताबिक पृथक–पृथक नींव–सींव कायम कर मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 काबिज काश्त है लेकिन अब प्रतिवादीगण के हक व हिस्से में गलत रूप से हिस्सा दर्ज हो जाने के कारण से उनके मन में लालच व बेईमानी आ गई है। जिसके कारण वे उक्त भूमियों की कब्जे काश्त व हिस्से के अनुसार खातेदारी अंकित करवाने में टालमटोल करते आ रहे है जिसका की उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण उन्हे ऐसा न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना न्यायोचित है। वादकारण दिनांक 17.11.2021 को पैदा हुआ जब वादी ने राजस्व अभियान के दौरान खातेदारी में दर्ज भूमियों की हिस्सेदारी सही करवाने हेतु व सहमति [illegible] प्रतिवादीगण ने कहा तो प्रतिवादीगण ने सहमति [illegible] व बंटवारा करवाने से इंकार हो जाने से यह दावा पेश करना [illegible]वश्यक हुआ। अतः उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7800 है0, खसरा नम्बर 1922 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/07/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

0.5500 है0, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2300 है0 में वादी को हिस्सा 2/3 का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा खसरा नम्बर 1936 रकबा 0.4200 है0, खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.0000 है0, खसरा नम्बर 1938 रकबा 0.5800 है0, खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.8500 है0, खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 1959 रकबा 0.6800 है0, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.8400 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 में से 2/3 अर्थात् कुल भूमियों में 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 में से हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1955 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1958 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.230 है0, खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.1900 है0 में वादी को सम्पूर्ण भूमियों के 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्से का अर्थात् सम्पूर्ण भूमियों में 1/3 का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व शेष 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का अर्थात् सम्पूर्ण भूमियों में 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/10/2023

जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा भूमि खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1935 रकबा 0.5700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 व शेष 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 10 को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें तथा उक्त वर्णित भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर खाता पृथक–पृथक किये जाने के आदेश फरमाने तथा प्रतिवादीगण का निवास स्थान दौलतपुरा दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कर, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 से दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 का सही पता पेश करने की हिदायत दी गई। जिस पर वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 की तामील सही पत्ते पर पेश की जाने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए डाक की प्रति पेश कर दिये जाने बाबत कथन किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो [illegible] बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मुख्य परीक्षण साक्ष्य वादी में वादी स्वयं रामूदास का एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादी साक्ष्य गवाह मे बंशीदास पुत्र गणेशदास जो उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 10 है व महेन्द्र पुत्र सांवरदास के तस्दीकशुदा/लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण मे वकील वादी की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुये कथन किया कि "प्रस्तुत प्रकरण में घोषणा के दावे में ही फैसला कर दिया जावे, बंटवारा का दावा नहीं चलाना चाहते।" पक्षकारान की ओर से सहमति व्यक्त की। प्रकरण में साक्ष्य वादी मे वादी व गवाहान् के तस्दीकशुदा/लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण को बहस में लिया गया।

हमने वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074-2077 चार जमाबंदीयों, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2027, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2021 से 2024, 2027 से 2030, 2031 से 2034, रजिस्टर्ड दान का लेख, रजिस्टर्ड दान लेख दिनांकित 06.06.1979, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् बंशीदास व महेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 एक ही परिवार खानदान से होकर एक ही कुटुम्ब से होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पूर्व में जमनदास के वारिसान् हरदेव दास, मांगु दास व ... के नाम दर्ज रिकार्ड होना व दयाल दास के नाम ... उक्त भूमियों की खातेदारी वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें पक्षकारान् के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अपनी अपनी कृषि भूमियों को अपने -अपने कब्जे काश्त अनुसार मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आना प्रकट होता है। उक्त कृषि भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में चली आना तथा उसका मौके पर अपने बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त करना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद साक्ष्य वादी में वादी रामूदास व वादी साक्ष्य में गवाहान् बंशीदास व महेन्द्र के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रकरण में वकील वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में केवल मात्र ईस्तकरार हक घोषणा के दावा की इस्तदुआ का ही निर्णय चाहा गया है तथा बंटवारें का अनुतोष नहीं चाहने से बंटवारा का दावा नहीं चलाने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। जिसकी वकील प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा बावजूद रजिस्टर्ड तामील के भी हाजिर अदालत नहीं आना तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किये जाने से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन पर वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा

20/07/23

13

दिलिप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

नाजान

की जाती है कि राजस्व ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.7800 है0, खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.5500 है0, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.9000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2300 है0 में वादी को हिस्सा 2/3 का तथा शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1936 रकबा 0.4200 है0, खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.000 है0, खसरा नम्बर 1938 रकबा 0.5800 है0, खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.8500 है0, खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 1959 रकबा 0.6800 है0, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.8400 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 में से 2/3 अर्थात् कुल भूमियों में 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को हिस्सा 1/2 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमियों में 1/6 हिस्से का व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1950 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 1954 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1955 रकबा 0.4100 है0, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.2800 है0, खसरा नम्बर 1958 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.230 है0, खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.1900 है0 में वादी को सम्पूर्ण भूमियों में से 1/2 में से 2/3 हिस्से का अर्थात् सम्पूर्ण भूमियों में 1/3 का व शेष 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से अर्थात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
(फास्ट ट्रेक)

सम्पूर्ण भूमियों में 1/6 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से व शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1934 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1935 रकबा 0.5700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 व शेष 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से व शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 10 को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जानें तथा प्रतिवादीगण का निवास स्थान दौलतपुरा दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे एंव ना ही दीगर से करावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह) 20/07/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दि[illegible]07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय [illegible]

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह) 20/07/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)